राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
खाद्य भवन, भू–तल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

दिनांक 27.08.2012 को आयोजित राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की 14वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य में अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न बाढ की स्थिति की समीक्षा हेतु दिनांक 27.08.2012 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गयी। जिसमें उपस्थित प्राधिकरण के सदस्य एवं अन्य आमन्त्रित अधिकारीगणों का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ में शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा अतिवृष्टि की स्थिति तथा उससे राहत प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कारगर कदमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी।

बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नानुसार हैः–

14.1 अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ के कारण सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित मलबे को हटाने (Removal of debris) तथा जल भराव के क्षेत्रों से वर्षा जल के निकास (Drain out) के लिये प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 25.8.12 को सर्वाधिकार प्राप्त समिति का गठन करने के निर्णय का अवलोकन किया गया। जयपुर जिले में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर सार्वजनिक स्थानों (Public Areas) पर एकत्रित हुए मलबे को हटाने (Removal of debris) एवं बाढ़ के पानी की निकासी (Drain out) करने हेतु इस समिति के द्वारा प्रस्तावित तथा अनुमोदित कार्यों पर किया गया व्यय भारत सरकार द्वारा जारी राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अन्तर्गत एसडीआरएफ मद से दिया जायेगा।

(कार्यवाही UDH,LSG,JDA,JNN,PWD,WR,DM&R)

14.2 राज्य में अत्यधिक वर्षा के कारण उत्पन्न बाढ की स्थिति से प्रभावित जिलों में जल निकासी एवं सार्वजनिक स्थानों (Public Areas) पर एकत्रित हुए मलवे को हटाने की कार्यवाही के लिये जिला कलेक्टर्स की अध्यक्षता में समिति का गठन करने तथा इस समिति के द्वारा प्रस्तावित कार्यो का राज्य कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन किये जाने पर किए गए व्यय का भुगतान भारत सरकार द्वारा जारी राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अन्तर्गत एसडीआरएफ मद से दिया जायेगा।

14.5 अतिवृष्टि जनित बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार के लिये ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनआरएचएम योजना के अन्तर्गत आवश्यक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करवाए जाने तथा शहरी क्षेत्रों में इसके लिये एसडीआरएफ मद से राशि उपलब्ध करवाए जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबन्धन एवं सहायता)

14.6 बैठक में राज्य में आकाशीय बिजली अथवा अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न बाढ से डूबने तथा मकान ढ़हने से मृतकों के परिजनों को एसडीआरएफ से रुपये 1.50 लाख तथा मुख्यमंत्री सहायता कोष से रुपये 0.50 लाख कुल रुपये 2.00 लाख की सहायता राशि प्रति प्रभावित परिवार उपलब्ध करवाये जाने का अनुमोदन किया गया।

अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के कारण राहत कार्यों हेतु अब तक जिलों का विभिन्न मदों में 251.49 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। जिसका अवलोकन व अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही आपदा प्रबन्धन विभाग एवं जिला कलेक्टर्स)

14.7 शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग ने प्रस्तुतिकरण देते हुए राज्य में अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में दिनांक 22.8.2012 को माननीय मुख्यमन्त्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक तथा दिनांक 24.8.2012 को मुख्यसचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशों की जानकारी उपलब्ध करवायी। विचार विमर्श उपरान्त उक्त दोनों बैठकों में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गयी।

14.8 जयपुर शहर में स्थित अमानीशाह नाले एवं अन्य नालों में अनाधिकृत स्थानों पर सुरक्षा की दृष्टि से चैतावनी बोर्ड लगाये जावें कि इन नालों में स्थित भूमि पर रहना सुरक्षित नहीं है। अमानीशाह नाला तथा अन्य नाले जिसमें पानी भरता है या बहाव क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के निर्माण निषेध घोषित किया जावे तथा इसमें बिजली एवं पानी के कनेक्शन नहीं दिये जावें।

(कार्यवाही : नगरीय विकास एवं आवासन तथा स्वायत्त शासन विभाग एवं नगर निगम जयपुर)

14.9 वर्तमान में जयपुर एवं राज्य के अन्य क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न बाढ की स्थिति से निचले क्षेत्रों में पानी के भराव के कारण मलेरिया, डेंगू, Leptospriosis व अन्य बीमारियों के फैलने की आशंका है,